12.11.2020

प्रेषक, ई–मेल

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–9,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 2145 /9–36/2020(मु0पत्रा0) दिनांक 11 , नवम्बर 2020

विषय– नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करने हेतु "स्वामित्व योजना" के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पंचयती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करने हेतु स्वामित्व योजना के कियान्वयन किये जाने के लिये भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार स्वामित्व योजना के सम्बन्ध में परिषद द्वारा समय–समय पर निर्देश दिये गये है। उन निर्देशों के कम में कतिपय जनपदों के द्वारा स्वामित्व योजना के कियान्वयन किये जाने में कतिपय पृच्छायें की गयी है एवं इस सम्बन्ध में परिषद स्तर से निर्देश मांगे गये हैं, तत्कम में परिषद पत्र संख्या 1102/9–36/2020(मु0पत्रा) दिनांक 16/20–7–2020, 21–8–2020 एवं परिषद पत्र संख्या 1698/ 9–36 (मु0पत्रा0) दिनांक 14–9–2020 के द्वारा परिषद स्तर से निर्देश निर्गत किये गये हैं , का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त परिषदादेश दिनांक 16–20–7–2020, 21–8–2020 एवं 14–9–2020 के साथ संलग्न स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण प्रकिया में ध्यान रखने योग्य बिन्दु दिनांक 20–7–2020, , 21–8–2020 एवं 14–9–2020 में आंशिक संशोधन करते हुये स्वामित्व योजना में सर्वेक्षण प्रकिया में ध्यान रखने योग्य बिन्दु दिनांक 09–11–2020 परिषद स्तर पर संक्षिप्त निर्देश तैयार किये गये है, जिसे संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भेजा जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न निर्देशों के अनुसार स्वामित्व योजना के कियान्वयन कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(राम सिंगारन प्रेमी)
प्रभारी सचिव

संख्या व दिनांक उक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–14, लखनऊ।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वह अपने स्तर से भी जनपदों में स्वामित्व योजना के कार्य का पर्यवेक्षण करने का कष्ट करें।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

8\. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ***आबादी मानचित्र–01*** पर सर्वे टीम द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से स्थलीय सत्यापन करते हुये निम्न कार्यवाहियाँ की जायेंगी–

8.1. स्थलीय सत्यापन में यदि आबादी मानचित्र--01 की त्रुटि पाई जाती है तो उसका अंकन प्रारूप–04 में तथा यदि प्रारूप--05 की त्रुटि है तो उसका अंकन प्रारूप–06(1) में किया जायेगा।

8.2. ***आबादी मानचित्र–01*** पर आबादी गाटा की सीमारेखा (लाल डोरा) दर्शायी जायेगी।

8.3. ***आबादी मानचित्र–01*** में दर्शायी गयी घरों, भूखण्डों, ***समस्त सरकारी सम्पत्तियों व*** ग्राम पंचायत सम्पत्तियों की सीमाओं का सत्यापन किया जायेगा। यदि सत्यापन में सीमाओं में कोई भिन्नता पायी जाती है तो उसका अंकन प्रारूप–04 में किया जायेगा।

8.4. ***आबादी मानचित्र–01*** पर आबादी भूखण्डों का संख्यांकन किया जायेगा व इसका मिलान ***प्रारूप–05*** से किया जायेगा। आबादी क्षेत्र के प्रत्येक भू–खण्ड को कमानुसार संख्याकित (नम्बरिंग) किया जायेगा, जो उत्तर पश्चिम से प्रारमभ होकर दक्षिण पूरब में समाप्त होगी। इन्ही आबादी भू–खण्ड के नम्बरों के आधार पर आबादी प्रपत्र संख्या–5 तैयार किया जायेगा। संख्यांकित आबादी भू–खण्ड का भविष्य मे विभाजन होने पर उसे बटा अंको में संख्यांकित (नम्बरिंग) किया जायेगा और मानचित्र में भी विभाजन को दर्शाया जायेगा। संख्याकन की विसंगति की स्थिति में ***आबादी मानचित्र–01*** पर किये गये भूखण्ड संख्यांकन को सही मानते हुये इस त्रुटि का अंकन ***प्रारूप 6(1)*** में किया जायेगा।

8.5. ***आबादी मानचित्र–01*** पर स्थलीय सत्यापन के समय पाये गये <u>30 प्रकार की संरचनाओं (परिशिष्ट–03)</u> को चिन्हांकित किया जायेगा एवं इनका अंकन प्रारूप–04, प्रारूप–05 व प्रारूप–06(1) में भी किया जायेगा।

<u>8.5.1.</u> परिशिष्ट–3 में कमशः कमांक– 1.लालडोरा, 7.पुल/पुलिया, 8.रेलवे लाइन, 10.मोबाइल टावर, 11.बिजली का खम्भा, 12.ट्रांसफार्मर, 13.पानी की टंकी, 14.हैण्ड पम्प, 15.नल, 16.ट्यूबवेल, 17.कुँआ व 18.शौचालय को मात्र मानचित्र–01 में दर्शाया जायेगा तथा इनका संख्यांकन नहीं किया जायेगा।

<u>8.5.2.</u> परन्तु परिशिष्ट–3 के कमांक– 2.भवन/कार्यालय/मकान, 3.सड़क, 4.कच्चा रास्ता, 5.पक्की गली, 6. नाली, 9.नहर/नदी/झरना, व 19.खाद के गड्ढ़े, 20.पशुओं का स्थान, 21.तालाब/जलाशय, 22.मैदान, 23. अन्त्येष्टि स्थल, 24.धार्मिक स्थल, 25.पुरातत्व स्थल, 26.पेट्रोल पम्प, 27. पार्क/उपवन/बगीचा, 28. विद्यालय/शिक्षा केन्द्र, 29.चिकित्सा केन्द्र व 30.दुकान का संख्याकन करते हुये इन सम्पत्तियों को प्रारूप–5 में अंकित किया जायेगा।

8.6. ***प्रारूप–04*** पर बिन्दु संख्या–8.2, 8.3, 8.4 व 8.5 के सत्यापन में प्रकाश में आई नवीन सूचनाओं, ***आबादी मानचित्र–01*** की त्रुटियों एवं प्रस्तावित संशोधनों की सूची तैयार कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। मानचित्र–1, भारतीय

8. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ***आबादी मानचित्र–01*** पर सर्वे टीम द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से स्थलीय सत्यापन करते हुये निम्न कार्यवाहियॉ की जायेंगी–

8.1. स्थलीय सत्यापन में यदि आबादी मानचित्र–01 की त्रुटि पाई जाती है तो उसका अंकन प्रारूप–04 में तथा यदि प्रारूप–05 की त्रुटि है तो उसका अंकन प्रारूप–06(1) में किया जायेगा।

8.2. ***आबादी मानचित्र–01*** पर आबादी गाटा की सीमारेखा (लाल डोरा) दर्शायी जायेगी।

8.3. ***आबादी मानचित्र–01*** में दर्शायी गयी घरों, भूखण्डों, ***समस्त सरकारी सम्पत्तियों व*** ग्राम पंचायंत सम्पत्तियों की सीमाओं का सत्यापन किया जायेगा। यदि सत्यापन में सीमाओं में कोई भिन्नता पायी जाती है तो उसका अंकन प्रारूप–04 में किया जायेगा।

8.4. ***आबादी मानचित्र–01*** पर आबादी भूखण्डों का संख्यांकन किया जायेगा व इसका मिलान ***प्रारूप–05*** से किया जायेगा। आबादी क्षेत्र के प्रत्येक भू–खण्ड को कमानुसार संख्याकित (नम्बरिंग) किया जायेगा, जो उत्तर पश्चिम से प्रारमभ होकर दक्षिण पूरब में समाप्त होगी। इन्ही आबादी भू–खण्ड के नम्बरों के आधार पर आबादी प्रपत्र संख्या–5 तैयार किया जायेगा। संख्यांकित आबादी भू–खण्ड का भविष्य मे विभाजन होने पर उसे बटा अंको में संख्यांकित (नम्बरिंग) किया जायेगा और मानचित्र में भी विभाजन को दर्शाया जायेगा। संख्याकन की विसंगति की स्थिति में ***आबादी मानचित्र–01*** पर किये गये भूखण्ड संख्यांकन को सही मानते हुये इस त्रुटि का अंकन ***प्रारूप 6(1)*** में किया जायेगा।

8.5. ***आबादी मानचित्र–01*** पर स्थलीय सत्यापन के समय पाये गये <u>30 प्रकार की संरचनाओं (परिशिष्ट–03)</u> को चिन्हांकित किया जायेगा एवं इनका अंकन प्रारूप–04, प्रारूप–05 व प्रारूप–06(1) में भी किया जायेगा।

<u>8.5.1.</u> परिशिष्ट–3 में कमशः कमांक– 1.लालडोरा, 7.पुल/पुलिया, 8.रेलवे लाइन, 10.मोबाइल टावर, 11.बिजली का खम्भा, 12.ट्रांसफार्मर, 13.पानी की टंकी, 14.हैण्ड पम्प, 15.नल, 16.ट्यूबवेल, 17.कुँआ व 18.शौचालय को मात्र मानचित्र–01 में दर्शाया जायेगा तथा इनका संख्यांकन नहीं किया जायेगाा।

<u>8.5.2.</u> परन्तु परिशिष्ट–3 के कमांक– 2.भवन/कार्यालय/मकान, 3.सड़क, 4.कच्चा रास्ता, 5.पक्की गली, 6. नाली, 9.नहर/नदी/झरना, व 19.खाद के गड्ढ़े, 20.पशुओं का स्थान, 21.तालाब/जलाशय, 22.मैदान, 23. अन्त्येष्टि स्थल, 24.धार्मिक स्थल, 25.पुरातत्व स्थल, 26.पेट्रोल पम्प, 27. पार्क/उपवन/बगीचा, 28. विद्यालय/शिक्षा केन्द्र, 29.चिकित्सा केन्द्र व 30.दुकान का संख्याकन करते हुये इन सम्पत्तियों को प्रारूप–5 में अंकित किया जायेगा।

8.6. ***प्रारूप–04*** पर बिन्दु संख्या–8.2, 8.3, 8.4 व 8.5 के सत्यापन में प्रकाश में आई नवीन सूचनाओं, ***आबादी मानचित्र–01*** की त्रुटियों एवं प्रस्तावित संशोधनों की सूची तैयार कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। मानचित्र–1, भारतीय

सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध कराने से पूर्व निम्न बिन्दुओं को अवश्य चेक कर लिया जायेगा–

8.6.1. मानचित्र–01, प्रारूप–04 व प्रारूप–05 में आबादी गाटा के अन्दर कुल भूखण्डों की संख्या समान होनी चाहिये।

8.6.2. मानचित्र–01 में कोई भूखण्ड बिना संख्याकन के नहीं होगा।

8.6.3. मानचित्र–01, में दर्शाये गये सभी भुखण्डों/घरों के आवागमन के लिये कोई एक रास्ता अवश्य होना चाहिये।

8.6.4. यदि किसी ग्राम में आबादी गाटा के अन्दर के भूखण्डों में कोई ग्राम समाज/सरकारी सम्पत्ति नहीं दर्शायी गयी है, तो सहायक अभिलेख अधिकारी/तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा स्वंय स्थलीय सत्यापन कर इस तथ्य की पुष्टि की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्रारूप–4, 5 व मानचित्र–1 का मिलान करके ही मानचित्र–1 भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किया जायेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सभी त्रुटियों, नवीन सूचनाओं व संशोधनों को समाहित करते हुये भूखण्डवार क्षेत्रफल के साथ ***आबादी मानचित्र–02*** उपलब्ध करायेगा।

8.7. प्रारूप–5 की फीडिंग पूर्ण होने के पश्चात सॉफ्टवेयर से श्रेणीवार भूखण्डों की सूची निकालकर, स्थलीय सत्यापन के समय उस सूची का मिलान व सत्यापन किया जायेगा। सरकारी भूखण्डों या सम्पत्तियों का मिलान ग्राम सभा सम्पत्ति पंजिका (यदि कोई उपलब्ध हो) से भी किया जायेगा।

8.8. ***प्रारूप–05*** का सम्पूर्ण स्थलीय सत्यापन किया जायेगा एवं ***प्रारूप–05*** के सत्यापन के पश्चात तद्नुसार ***प्रारूप–05*** के सत्यापन के समय पाई गई नवीन सूचनाओं, त्रुटियों की सूची कमशः ***प्रारूप 6(1)*** पर व विवादों की सूची **6(2)** पर तैयार की जायेगी। ***प्रारूप–05*** का सम्पूर्ण स्थलीय सत्यापन पूर्ण सावधानी के साथ किया जायेगा। यदि सत्यापन में कोई त्रुटि पायी जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

9. इस प्रकार तैयार ***प्रारूप 6(1) व 6(2)*** एवं ***समस्त सरकारी सम्पत्तियों***, ग्राम पंचायत सम्पत्तियों व <u>30 प्रकार की संरचनाओं</u> का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। तद्पश्चात सत्यापन के दौरान ***प्रारूप 6(1)*** में पाई गई नवीन सूचनाओं, लिपिकीय त्रुटियों, ***प्रारूप–6(2)*** की सूचना एवं अन्य समस्त त्रुटियों के कम में संशोधित अंकन प्रारूप–07 में किया जायेगा। इसी प्रकार ***आबादी मानचित्र–02*** में उपलब्ध कराये गये भूखण्डों के क्षेत्रफल की भी प्रविष्टी प्रारूप–7 में की जायेगी। ***प्रारूप -7*** (परिषद के पोर्टल पर) तैयार किया जायेगा।

10. राजस्व निरीक्षक द्वारा सत्यापन एवं संशोधन के पश्चात तैयार ***प्रारूप -7 व आबादी मानचित्र–02*** को तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सत्यापित आंकड़ों विशेषतया सरकारी व ग्राम पंचायत सम्पत्तियों में कोई त्रुटि न रहे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ***प्रारूप 6(1) व 6(2)*** व <u>30 प्रकार की संरचनाओं</u> में पाई गई त्रुटियों व संशोधनों एवं ***आबादी मानचित्र–02*** से प्राप्त क्षेत्रफल के डेटा का अंकन ***प्रारूप–07 में*** हो गया है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया

जायेगा कि *प्रारूप–04* में सत्यापन के दौरान पायी गयी अंकित त्रुटियों, नवीन सूचनाओं व संशोधनों को *आबादी मानचित्र–02* में समाहित कर लिया गया है।

11. सत्यापित *प्रारूप–7* व *आबादी मानचित्र–2* को तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी/उपजिलाधिकारी को आपत्ति आमंत्रित करने हेतु प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

12. सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, आबादी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–7 (प्रपत्र संलग्न) एवं भू–मानचित्र–2 ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रकाशित किया जायेगा एवं 15 दिन का समय देते हुये आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी। प्रपत्र–7 के प्रकाशन की, ग्राम पंचायत की खुली बैठक की कार्यवृत्त तैयार कर संरक्षित की जायेगी एवं इस बैठक की तिथि का अंकन आवासीय आबादी अभिलेख सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–09 में ग्राम पंचायत बैठक प्रस्ताव तिथि के रूप में किया जायेगा।

13. इसके अतिरिक्त सम्बन्धित लेखपाल द्वारा ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–7 भू–खण्डवार, तथा प्रपत्र–8 व प्रपत्र–9 की भूखण्ड स्वामी वार प्रति, हितबद्ध व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध/तामील करायी जायेगी। प्राप्ति के साक्ष्य हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–8 की कार्यालय प्रति पर भूखण्ड स्वामी के हस्ताक्षरों सहित दो गवाहों के हस्ताक्षर लिये जायेगें। यदि हितबद्ध व्यक्ति नही मिल पाता है तो उद्धरण की प्रति का नियमानुसार तामिला किया जायेगा और साक्ष्य स्वरुप दो गवाहों के हस्ताक्षर लिये जायेगें।

14. सरकारी विभागों से सम्बन्धित आबादी भूखण्डों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–7, 8 व 9 की प्रति जनपद के जिला स्तरीय अधिकारी को भेजी जायेंगी। ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित आबादी भूखण्डों के सम्बन्ध में प्रपत्र संख्या–7, 8 व 9 की प्रति ग्राम पंचायत के सचिव व प्रधान को अथवा स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को दी जायेगी।

15. समस्त आपत्तियॉ या सहमति सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय पर सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 पर ही दी जायेंगी। कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर भूस्वामी की सहमति मानी जायेगी, जैसा कि प्रपत्र–8 में उल्लिखित है।

16. प्रपत्र–7 प्राप्त होने पर भू–खण्ड स्वामी द्वारा प्रपत्र–7 की बिन्दु संख्या 7.4 व 7.10 से 7.19 की प्रविष्टियों तथा मानचित्र से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 7.7 से 7.9 की प्रविष्टियों पर असहमत होने की दशा में साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 पर सहायक अभिलेख अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

17. आपत्ति प्राप्त होने पर सहायक अभिलेख अधिकारी पक्षों को सुनेगा और सुलह समझौते के आधार पर आक्षेपों का निस्तारण करेगा। सुलह की स्थिति में सम्बन्धित पक्षों के मध्य एक समझौता अभिलिखित किया जायेगा एवं उस पर सम्बन्धित पक्षों के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा प्राप्त किये जायेंगे। उसी अभिलेख पर सहायक अभिलेख अधिकारी अपना निस्तारण अंकित करेगा तथा इस निस्तारण का अंकन पोर्टल पर सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में किया जायेगा। पोर्टल पर निस्तारण के अंकन की तिथि को समझौता अभिलेख की हार्ड कॉपी में भी अंकित किया जायेगा। इस प्रकार के समस्त समझौता अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

18. विवाद सम्बन्धी आपत्तियों के निस्तारण न हो पाने पर सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में "विवादित" अंकित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रपत्र–7 के बिन्दु संख्या

7.4 व 7.10 से 7.19 की प्रविष्टियों तथा मानचित्र से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 7.7 से 7.9 प्रविष्टियों की लिपिकीय त्रुटियों सम्बन्धी आपत्तियों लंबित रहने की दशा में सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में "लंबित" अंकित किया जायेगा।

19– सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति जिला अभिलेख अधिकारी के समक्ष 15 दिन के अन्दर त्रुटियों एवं समझौते से सम्बन्धित आपत्ति दाखिल कर सकता है। जिला अभिलेख अधिकारी, प्राप्त आपत्ति पर, त्रुटि या विवाद जैसी स्थिति हो, का केवल सुलह समझौते के आधार पर निवारण करते हुये आपत्ति निस्तारित करेगा। सभी निस्तारण, ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दर्ज किये जायेगें।

20– किसी भू–खण्ड के स्वत्व या उसके सह भूखण्ड स्वामियों कि मध्य, न्यायालय में विवाद की स्थिति में भी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 में, उसके सम्मुख अभियुक्ति स्तम्भ में में "विवादित" अंकित किया जायेगा तथा सम्बन्धित द्वारा सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर लेने पर/आदेश हो जाने पर एवं पक्षकार द्वारा आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर तद्नुसार संशोधित प्रविष्टि का अंकन, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में किया जायेगा। सभी आदेश, ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–09 में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दर्ज किये जायेगें।

21. किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में पोर्टल पर उस त्रुटि के सम्बन्धित प्रपत्र–9 के स्तम्भ को संशोधित प्रविष्टि किये जाने हेतु तब तक खुला रखा जायेगा जब जक वह त्रुटि संशोधित न हो जाये और सम्बन्धित भू–खण्ड के स्वामियों द्वारा सहमति न व्यक्त कर दी जाये। इसी प्रकार मानचित्र की त्रुटियों के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–7 के बिन्दु संख्या 7.7 से 7.9 तक की त्रुटियों के सही होने तक सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में लंबित अंकित किया जायेगा।

22. जिन भू–खण्डों के स्वामियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में विवादित या लंबित अंकित होगा, उन भू–खण्डों का प्रपत्र 10 अंतिम नहीं किया जायेगा। अन्य भूखण्डों, जिनमें विवाद या लिपिकीय त्रुटि सम्बन्धी कोई आपत्ति लंबित न हो, प्रपत्र–10 को अंतिम किया जायेगा।

23. प्रत्येक ग्राम के लिये मानचित्र–2 पर आपत्ति आमंत्रण के बाद, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के बिन्दु संख्या 7.7 से 7.9 के आपत्ति निस्तारण के अनुसार संशोधन करते हुये एवं परिशिष्ट–3 के 30 प्रकार की संरचनायें दर्शाते हुये, तकनीकी एजेन्सी द्वारा ग्राम का अंतिम आबादी मानचित्र (मानचित्र–3) तैयार किया जायेगा।

24. सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये भू–खण्डवार, आपत्ति निस्तारण की प्रास्थिति के अनुसार सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में अंकन करते हुये आबादी भू–खण्डों के ग्रामीण आवासीय आबादी अभिलेख, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–10 को अंतिम रूप प्रदान करेगा।

25. सभी प्रकार के आदेशों का अंकन सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–09 में ही किया जायेगा। सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–10 में किसी प्रकार के आदेश का अंकन नहीं किया जायेगा। जिन भू–खण्डों के स्वामियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–9 के अभियुक्ति स्तम्भ में विवादित या लंबित अंकित होगा, सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–10 में मात्र विवादित या लंबित का अंकन किया जायेगा।

26. आबादी भूखण्डों के अंतिम आवासीय अधिकार अभिलेख की पुष्टि– सहायक अभिलेख अधिकारी, सक्षम स्तर से किये गये आदेशों के आवश्यक रुपान्तरण एवं परिवर्तन के बाद, अंतिम आवासीय आबादी अभिलेख सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–10 और अंतिम भू–मानचित्र मानचित्र–3 की पुष्टि करेगा तथा अंतिम अभिलेखों के प्रकाशन की कार्यवाही हेतु अभिलेख अधिकारी (जिलाधिकारी) को प्रेषित करेगा।

27. अभिलेख अधिकारी (जिलाधिकारी) अपनी संतुष्टि के पश्चात ग्राम को सर्वे प्रक्रिया से बाहर करने की अधिसूचना प्रख्यापन के लिये राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

<u>ड्रोन सर्वेक्षण व ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण हेतु</u>
<u>सम्पत्तियों के संख्यांकन, अभिलेख तैयारी हेतु सामान्य निर्देश</u>

1. आबादी सर्वेक्षण कार्य के दौरान संपत्ति धारक के नाम व अंश का निर्धारण करते समय निम्नांकित परिस्थितिया मौके पर हो सकती है:–

<u>परिस्थिति–01–</u> ऐसी सम्पति जहां एक मकान में एक परिवार निवासित हो, उसमें परिवार के मुखिया का नाम सम्बन्धित प्लाट नम्बर/सर्वे संख्या के साथ अंकित किया जाना चाहिये।

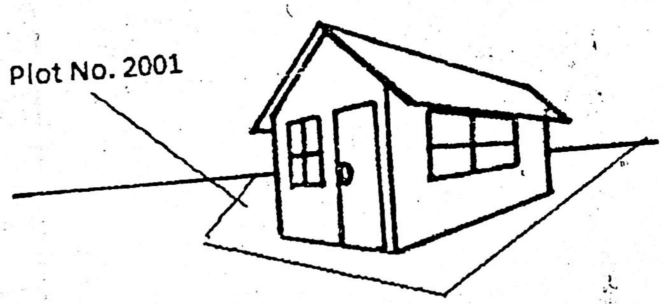

उदाहरण –प्लाट नम्बर 2001, राहुल पुत्र राजेश

<u>परिस्थिति–02–</u> ऐसी सम्पत्ति जहां एक मकान में एक से अधिक परिवार निवासित है, उसमें प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम एवं हिस्सा की जानकारी सम्बन्धित प्लाट नम्बर के साथ अंकित किया जा सकता है।

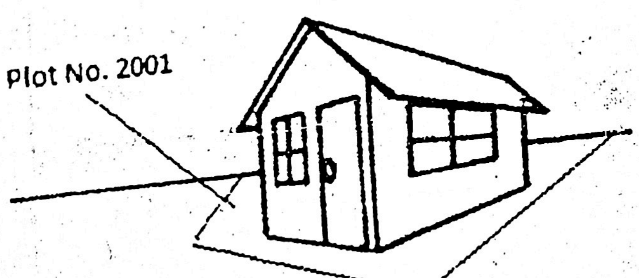

उदाहरण – प्लाट नम्बर 2001, राहुल पुत्र राजेश अंश 1/2, रवि पुत्र मोहन चन्द्र अंश 1/2

परिस्थिति–03–

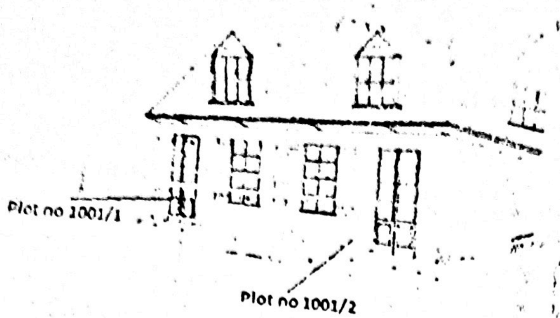

ऐसी सम्पत्ति जहां निर्मित मकान में एक से अधिक परिवार निवास करते है और उनकी छत आपस में जुड़ी हुयी है, किन्तु आने जाने हेतु अलग–अलग दरवाजा है और स्थल पर उक्त सम्पत्ति को अलग–अलग सम्पत्ति के रुप में नक्शे में विभाजित कर दर्शाया जा सकता हो। प्रारुप नक्शे में ऐसी सम्पत्ति हेतु यदि एक ही प्लाट नम्बर अंकित किया गया है तो– उदाहरण – एक प्लाट नम्बर जिसमें 02 प्रथक दरवाजे है, दोनो परिवार के निकास हेतु, एवं परिवार की परिभाषा अनुसार 02 प्रथक परिवार है–

प्लाट नम्बर 1001– राहुल पुत्र राजेश

प्लाट नम्बर 1002– रवि पुत्र मोहन चन्द

परिस्थिति–04–ऐसी सम्पत्ति जिसमें निर्मित मकान की छत आपस में जुड़ी हुयी है और एक से अधिक परिवार निवास करते है एवं आने जाने हेतु एक ही दरवाजा है, या एक मकान एक मंजिल में एक या अधिक परिवार एवं दूसरी मंजिल में एक या अधिक परिवार निवासरत हो, ऐसे प्लाट को शामिल सम्पत्ति माना जाकर निवासरत परिवारों के मुखिया के नाम अंकित कर हिस्सा अंकित किया जावेगा।

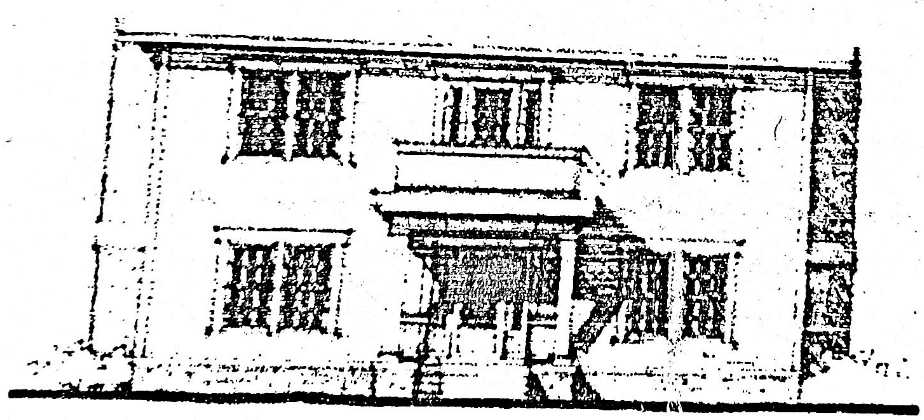

उदाहरण– प्लाट नं0 1005 जिसमें निकास हेतु एक दरवाजा है एवं परिवार की परिभाषा अनुसार 03 परिवार शामिल रुप से निवासरत है, या तीनो परिवार मकान की अलग–अलग मंजिल/ हिस्से पर निवासरत है, वहां निम्नानुसार जानकारी अंकित की जा सकेगी :–

प्लाट नं0 1005 – राहुल पुत्र राजेश हिस्सा 1/3, रवि पुत्र मोहन चन्द हिस्सा 1/3, अतुल पुत्र ज्ञानी हिस्सा 1/3

संक्षिप्त प्रकिया–

- शासन द्वारा सर्वेक्षण हेतु ग्रामों को अधिसूचित किया जाना।
- जिलाधिकारी द्वारा ग्रामों का चयन– (एस0ओ0पी–दिनांक. 02.11.2020 का बिन्दु सं0–03)
- सर्वेक्षण टीम का गठन।
- व्यापक प्रचार प्रसार।
- चूना मार्किंग व ड्रोन सर्वेक्षण।
- प्रारूप–04 व प्रारूप–05 तैयार करना व मानचित्र–01 से मिलान। (एस0ओ0पी–दिनांक. 02.11.2020 का बिन्दु सं0–08)
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मानचित्र–01, एक सप्ताह में भारतीय सर्वेक्षण विभाग को वापस करना।
- प्रारूप–05 का स्थलीय सत्यापन व प्रारूप–6(1), प्रारूप–6(2) व प्रारूप–07 तैयार करना। (एस0ओ0पी–दिनांक. 02.11.2020 का बिन्दु सं0–09 व बिन्दु सं0–10)

संक्षिप्त प्रकिया क्रमशः—

- सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा आपत्ति आमंत्रण हेतु प्रारूप–07 का प्रकाशन। (एस0ओ0पी–दिनांक. 02.11.2020 का बिन्दु सं0–11 से बिन्दु सं0–16)
- सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण व निस्तारण के विरुद्ध अभिलेख अधिकारी को अपील। (एस0ओ0पी–दिनांक. 02.11.2020 का बिन्दु सं0–11 से बिन्दु सं0–19)
- आदेशों का अभिलेखों में अंकन व अन्तिमिकरण। (एस0ओ0पी–दिनांक. 02.11.2020 का बिन्दु सं0–19 से बिन्दु सं0–25)
- सर्वेक्षण प्रकिया की समाप्ति की उद्घोषणा।(एस0ओ0पी–दिनांक. 02.11.2020 का बिन्दु सं0–26 व बिन्दु सं0–27)

प्रकिया में ध्यान देने योग्य बिन्दु कमशः

- ड्रोन सर्वे हेतु ग्रामों का चयन–

3.1. चयनित ग्राम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामों में से ही होना चाहिये।

3.2. चयनित ग्राम गैर आबाद नहीं होना चाहिये।

3.3. चयनित ग्राम, राजस्व ग्राम ही होना चाहिये अर्थात नगर निकाय आदि में सम्मिलित नहीं होना चाहिये।

3.4. ग्राम की आबादी, ग्राम की पुरानी आबादी गाटा पर ही अवस्थित होनी चाहिये।

प्रकिया में ध्यान देने योग्य बिन्दु कमशः

- **मानचित्र–01 में संख्याकन करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ–**
  - सर्वे ऑफ इण्डिया से प्राप्त नक्शे पर संख्याकन करते समय ग्राम की सीमा को काले स्केच पेन से दर्शाया जाना चाहिये।
  - सर्वे ऑफ इण्डिया से प्राप्त नक्शे पर संख्याकन करते समय सम्पत्तियों की सीमा को लाल 0.5 mm जेल पेन से दर्शाया जाना चाहिये।
  - एक व्यक्ति की एक स्थान की सम्पति को एक नम्बर देना है।
  - आबादी भू–खण्ड संख्या को संघटक या मिनजुमला में नहीं आवंटित किया जायेगा। इसी प्रकार एक आबादी भू–खण्ड संख्या को एक ही बार लिखा जायेगा और उसी में, उस सम्पत्ति में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम लिखे जायेंगे।
  - ग्राम सभा की सम्पत्तियों यथा सड़क आदि को भी संख्याकित कर नक्शे पर दर्शाना है।

प्रकिया में ध्यान देने योग्य बिन्दु क्रमशः

- <u>30 प्रकार की संरचनाओं (परिशिष्ट–03)</u> के चिन्हांकन में सावधानी–
  - परिशिष्ट–3 में क्रमशः क्रमांक– 1.लालडोरा, 7.पुल/पुलिया, 8.रेलवे लाइन, 10.मोबाइल टावर, 11.बिजली का खम्भा, 12.ट्रांसफार्मर, 13.पानी की टंकी, 14.हैण्ड पम्प, 15.नल, 16.ट्यूबवेल, 17.कुँआ व 18.शौचालय को मात्र मानचित्र–01 में दर्शाया जायेगा तथा इनका संख्यांकन नहीं किया जायेगा।
  - परन्तु परिशिष्ट–3 के क्रमांक– 2.भवन/कार्यालय/मकान, 3.सड़क, 4.कच्चा रास्ता, 5.पक्की गली, 6. नाली, 9.नहर/नदी/झरना, व 19. खाद के गड्ढ़े, 20.पशुओं का स्थान, 21.तालाब/जलाशय, 22.मैदान, 23. अन्त्येष्टि स्थल, 24.धार्मिक स्थल, 25.पुरातत्व स्थल, 26.पेट्रोल पम्प, 27. पार्क/उपवन/बगीचा, 28. विद्यालय/शिक्षा केन्द्र, 29.चिकित्सा केन्द्र व 30.दुकान का संख्याकन करते हुये इन सम्पत्तियों को प्रारूप–5 में अंकित किया जायेगा।

प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बिन्दु क्रमशः

▸ प्रारूप–4, 5 व मानचित्र–1 के मिलान में सावधानी–

- मानचित्र–01, प्रारूप–04 व प्रारूप–05 में आबादी गाटा के अन्दर कुल भूखण्डों की संख्या समान होनी चाहिये।
- मानचित्र–01 में कोई भूखण्ड बिना संख्याकन के नहीं होगा।
- मानचित्र–01, में दर्शाये गये सभी भुखण्डों/घरों के आवागमन के लिये कोई एक रास्ता अवश्य होना चाहिये।
- यदि किसी ग्राम में आबादी गाटा के अन्दर के भूखण्डों में कोई ग्राम समाज/सरकारी सम्पत्ति नहीं दर्शायी गयी है, तो सहायक अभिलेख अधिकारी/तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा स्वंय स्थलीय सत्यापन कर इस तथ्य की पुष्टि की जायेगी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा चिन्हित बिन्दु क्रमशः

- ड्रोन सर्वेक्षण हेतु प्रतिदिन प्रति ड्रोन न्यूनतम 05 ग्राम चूना मार्किंग करके तैयार रखने चाहिये।
- कतिपय जनपदों में ड्रोन टीम के ग्राम में पहुँचने के बाद चूना मार्किंग की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है, जो उचित नहीं है। चूना मार्किंग की कार्य योजना पूर्व से ही तैयार कर समय से चूना मार्किंग होनी चाहिये।
- कुछ जगह आँशिक चूना मार्किंग की जा रही है, जिससे मानचित्र तैयार करने में परेशानी होती है। ग्राम में अवस्थित सभी सम्पत्तियों (निजी/सरकारी/ग्राम पंचायत आदि) तथा आबादी गाटा की बाहरी सीमा की चूना मार्किंग किया जाना चाहिये।
- प्रारूप–4, 5 व मानचित्र–1 का मिलान करके ही मानचित्र–1 भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किया जायेगा।